

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20.11.24	<p>पत्रावली पेशा हुई। नशुबान परिचय उधारित। पूर्वोक्त की परिभाषा से पत्रावली दिनांक 18/12/24 को पेशा हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>
	18-12-24	<p>पत्रावली पेशा हुई। वादीमा एवं उनके अधिगन्ता अनुपास्थित। वादीमा को आज न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय तीन-तीन बार सवाजे लगावायी गयी। वाक्य 4 आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादीमा के न्यायालय में हाजिर नहीं जाने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 नियम-3 पाठ 40 के तहत भयम हाजरी व अयम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली फोल्ड शुमाट हीकर नबंद ले कम हीकर शरिफ दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर</p>